HO:BR:106:36 **Date: 12.02.2014**

OPERATIONS & SERVICES DEPARTMENT
HEAD OFFICE, BARODA
Tel: 0265-2361724 **Email: operations.ho@bankofbaroda.com**

CIRCULAR TO ALL BRANCHES / OFFICES IN INDIA

Sub file / GEN-1

Dear Sir / Madam,

Re: Guidelines for providing Staff Rate and Senior Citizen Rate on Term Deposits

It has come to our notice that due to non acceptance of EC Number of retired Staff members, branches are not able to provide them Senior Citizen rate and/or Staff rate of interest. **Employee Code numbers of all employees i.e. Retired and Existing have now been fed in the system. While opening account in staff category Employee number of the staff available in the system will only be accepted**. Branches who were not able to offer Senior Citizen rate and/or staff rate to Retired staff due to non availability of Employee Code number in customer master (CUMM) they can now modify the customer master with correct EC Number and thereafter attach correct interest table code.

Branches are advised to obtain Employee Code number from Retired staff and enter the same at field provided in the system to give him/her benefit of staff rate.

Further there is also lack of clarity at certain branches for providing staff rate, senior citizen rate to staff /retired staff/ex-staff in joint accounts of staff with their spouse, children. We therefore give various situations at a glance with applicable interest rate.

Accounts jointly with Staff:

Sr.No	Description	Rate of Interest applicable
1	Primary holder – General* Joint holder – Staff	Staff Rate
2	Primary holder – General Joint holder – Senior Citizen Staff	Staff Rate
3	Primary holder – Senior Citizen Joint holder – Staff	Staff Rate
4	Primary holder – Staff Joint holder – Senior Citizen	Staff Rate
5	Primary Holder-**Senior Citizen Staff** Joint Holder-General	Senior Citizen Rate + Staff Rate

*Dependent of staff as given in Book of Instructions 2012 Chapter on Deposits General.

Accounts of General Public:

Sr.No	Description	Rate of Interest applicable
1	Primary holder – General Joint holder – Senior Citizen	General Rate
2	Primary Holder-Senior Citizen Joint holder-General	Senior Citizen Rate

However, for **eligibility of staff for getting 1% higher rate than applicable rate for public**, guidelines given in Book of Instructions 2012 Deposits General, chapter General and Time Deposits, as given under should be followed.

MEMBERS OF STAFF:

All types of accounts can be opened in the names of staff members, singly or jointly with any other member or members of his/her family. The word 'Family' shall mean and include the spouse of the members/retired members of the Bank's staff and the children, parents; brothers and sisters of the member/retired member of the bank's staff, who are dependent on such member/ retired member but shall not include legally separated spouse.

Additional interest at the rate i.e. 1% above the rate of interest payable to the public as per prevalent RBI directive/ bank's instructions, should be paid on all types of deposit accounts of the existing and retired members of the staff (including those taking voluntary retirement) excepting those who resigned or were dismissed.

An additional interest 1.50% will be paid to above category of staff who are senior citizen. However, additional interest @ 1% p.a. is not to be paid in NHB Home Loan Accounts.

The additional rate of interest should also be extended in the following cases: -

a) Where a lady member of the staff has a joint account with her husband, who is not an employee of the bank, except in the case of a legally separated husband.
b) Where a lady member of the staff, holds an account jointly with her children during the lifetime of the husband.
c) Where a spinster/bachelor holds a joint account with her/his dependent parent and/or sisters and brothers.
d) Widows of the deceased members or the ex-members of staff.
e) Ex-members of staff whose spouse has expired, jointly with son/daughter.
f) Accounts of employees unions, associations, SC/ST associations.
g) Bank of Baroda Provident Fund, Bank of Baroda Staff Co-operative Credit Societies and Sports & Cultural Clubs, membership of which is restricted to the staff. This rate, however, does not apply to Bank of Baroda Co-operative Housing Society.

iv)In all the cases, as above, the members concerned must state in writing that the money deposited in such accounts is their own. In the case of joint account with their dependent children/ parents, they should confirm that the child or children/parent or parents is/are solely dependent on them.

v)The proforma of declaration to be taken from every staff member at the time of opening any deposit a/c in his/her name either singly or jointly as above is given in APPENDIX VI. The Branch Manager/Joint Manager should keep close watch in respect of transactions put through accounts of staff members, to ensure that no objectionable or unusual transactions are routed through the accounts. Prescribed half-yearly certificate in this regard should be sent to Regional Authority invariably.

The benefit of additional interest will cease in the case of savings bank accounts from the date account ceases to fulfill the eligibility criteria, say on account of death or resignation and in the case of time deposit from the date of maturity of the deposit.

5.105 Higher rate of interest to Senior Citizens

3. Treatment of Joint Deposits

For accepting deposits of senior citizens jointly, with other persons below the age of sixty years, under the special scheme for senior citizens, it should be ensured that the name of the senior citizen is given as the first name in the application.

4. **Additional rate of Interest :**

Additional rate of interest, as prescribed by the bank from time to time (presently 0.50%), over the domestic term deposit rates is to be paid on Term Deposits of Senior Citizens residents in India w.e.f. 15/05/2001. This is now applicable on all maturities of Domestic Term Deposits of Senior Citizens under the scheme effective from 01/11/2001.

Additional rate of Interest to Ex-Staff who are senior citizen:

Vide Circular NO. BCC: BR: 100/4 dated 01.01.2008 branches have been authorized to allow additional interest of 0.50%, available to senior citizens to eligible retired/ex-staff members in addition to the existing benefit of 1% in rate of interest (over public rate) available on term deposits under staff scheme. Accordingly, the branches may pay additional interest to retired staff members who are Senior Citizens resident in India on their fresh term deposits and renewals of existing Term Deposits for maturities from 15 days to 10 years at 1.50% per annum i.e. 1% as normal staff privilege plus 0.50% as a benefit to Senior Citizen.
The benefit of additional rate will be available w.e.f 1st January, 2008.

Please note that if still any branch is not able to enter the employee code number of our retired staff, they should take up the matter with Head Office, HRM department, Mandvi Baroda, through their respective Regional office.

Branches are advised to scan their portfolio and check that Staff Rate/Senior Citizen Staff Rate is given as per their eligibility.

Yours faithfully,

Sd/-
(Rajeev K Garg)
Deputy General Manager
(Operations & Services)

Annexure to circular HO:BR:106:36 dated 12.02.2014

APPENDIX VI

DECLARATION LETTER TO BE OBTAINED FROM ALL STAFF MEMBERS/EX-MEMBERS/WIDOWS OF EX-MEMBERS

NAME : ....
ADDRESS : ....

DATE : ....

The Chief/Senior/Branch Manager
Bank of Baroda,
……………………….
……………………….

Dear Sir,

Re. : My Savings Bank/Recurring Deposit/Fixed Deposit Account with you
I hereby declare that :

(I) (a) I am a staff member of Bank of Baroda .... Branch/ Department.
OR

(b) I am an ex-staff member and retired from .... Branch/ Office w.e.f. ....
OR

(c) My husband Mr................. who has expired on .... was an employee of the Bank.

(II) the moneys deposited/to be deposited in my/our abovementioned account/ s is/are my own moneys and belong to me.

(III)Mr./Miss .... with whom I hold joint SB/RD/FD Account /propose to open SB/RD/FD Account is solely dependent on me.

Yours faithfully,

(Delete whichever is not applicable)

एचओ:बीआर:106:36 दिनांक:12.02.2014

परिचालन एवं सेवाएं विभाग
प्रधान कार्यालय, बड़ौदा

टेली: 0265-2361724 ई-मेल: operations.ho@bankofbaroda.com

भारत स्थित सभी शाखाओं/कार्यालयों को परिपत्र

सब फाइल/जीईएन-1

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: आवर्ती जमा पर स्टाफ दरें और वरिष्ठ नागरिक दरें उपलब्ध करवाने हेतु दिशानिर्देश

यह ध्यान में आया है कि सेवानिवृत्त स्टाफ सदस्यों की क.कू.संख्या स्वीकार न किए जाने के कारण शाखाएं उन्हें वरिष्ठ नागरिक दर और/या स्टाफ दर से ब्याज उपलब्ध करवाने में असमर्थ हैं। **सभी कर्मचारियों अर्थात सेवानिवृत्त और वर्तमान स्टाफ की क.कू. संख्या अब सिस्टम में प्रविष्ट कर दी गई है। स्टाफ वर्ग में खाता खोलते समय केवल सिस्टम में स्थित स्टाफ की कर्मचारी संख्या ही स्वीकार की जाएगी।** ग्राहक मास्टर में कर्मचारी कूट संख्या की अनुपलब्धता के कारण जो शाखाएं सेवानिवृत्त स्टाफ को वरिष्ठ नागरिक दर और/या स्टाफ दर देने में असमर्थ हैं वे अब सही कर्मचारी कूट संख्या के साथ ग्राहक मास्टर सुधार सकती हैं और उसके बाद सही ब्याज टेबल कोड संलग्न कर सकती हैं।

शाखाओं को सूचित किया जाता है कि सेवानिवृत्त स्टाफ से कर्मचारी कूट संख्या प्राप्त करें और सिस्टम में दिए गए फील्ड में प्रविष्ट करें ताकि उन्हें स्टाफ दरों का लाभ दिया जा सके।

इसके अलावा स्टाफ के अपने पति/पत्नी, बच्चों के साथ के संयुक्त खातों में स्टाफ/सेवानिवृत्त स्टाफ/पूर्व स्टाफ को स्टाफ दरें/वरिष्ठ नागरिक दरें उपलब्ध करवाने के संबंध में कुछ शाखाओं को दिशानिर्देश स्पष्ट नही है। अत: हम एक नज़र में उपयुक्त ब्याज दरों के साथ विविध स्थितियों को उदाहरणस्वरूप दर्शा रहे हैं।

स्टाफ के साथ संयुक्त खाते:

क्र.सं.	विवरण	लागू ब्याज दरें
1	प्राथमिक धारक – सामान्य* संयुक्त धारक – स्टाफ	स्टाफ दर
2	प्राथमिक धारक – सामान्य संयुक्त धारक – वरिष्ठ नागरिक स्टाफ	स्टाफ दर
3	प्राथमिक धारक – वरिष्ठ नागरिक संयुक्त धारक – स्टाफ	स्टाफ दर
4	प्राथमिक धारक – सामान्य संयुक्त धारक – वरिष्ठ नागरिक	स्टाफ दर
5	प्राथमिक धारक - **वरिष्ठ नागरिक स्टाफ** संयुक्त धारक - सामान्य	वरिष्ठ नागरिक दर + स्टाफ दर

*अनुदेश कोश 2012 के अध्याय 'सामान्य जमाराशियां' के अनुसार स्टाफ के आश्रित

आम जनता के खाते:

क्र.सं.	विवरण	लागू ब्याज दरें
1	प्राथमिक धारक – सामान्य संयुक्त धारक – वरिष्ठ नागरिक	सामान्य दरें
2	प्राथमिक धारक – वरिष्ठ नागरिक संयुक्त धारक – सामान्य	वरिष्ठ नागरिक दरें

तथापि, **आम जनता पर लागू दरों से 1% ज्यादा दरें देने के लिए स्टाफ की पात्रता हेतु**, अनुदेश कोश 2012 के खंड 'सामान्य जमाराशियां' के अध्याय 'सामान्य और आवधि जमा' में दिए गए निम्नलिखित दिशानिर्देशों का सख्ती से अनुपालन किया जाना चाहिए और **दिशानिर्देशों के अनुरूप स्टाफ दरें दी जानी चाहिए।**

स्टाफ सदस्य:

i. स्टाफ सदस्यों के नाम से सभी प्रकार के खाते व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अन्य सदस्यों उसके परिवार के किसी सदस्य के साथ संयुक्त रूप से खोले जा सकते हैं। 'परिवार' से अभिप्राय है बैंक के स्टाफ सदस्य/सेवानिवृत्त स्टाफ सदस्य की पत्नी/पति तथा बच्चे, माता-पिता, बैंक के स्टाफ सदस्य/सेवानिवृत्त स्टाफ सदस्य के भाई अथवा बहन जो कि ऐसे स्टाफ सदस्य/सेवा निवृत्त स्टाफ सदस्य पर निर्भर हैं अर्थात ये सभी परिवार में शामिल होंगे, लेकिन कानूनी तौर पर अलग हुई पत्नी/पति को शामिल नहीं माना जाएगा।

ii. मौजूद तथा सेवा निवृत्त सभी स्टाफ सदस्यों को भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार जन सामान्य को देय ब्याज दर से 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज दर का भुगतान सभी प्रकार के जमाखातों पर किया जाना चाहिए। (उक्त सुविधा में ऐच्छिक सेवा निवृत्त प्राप्त स्टाफ सदस्य भी शामिल है)। बैंक से त्याग पत्र देने वाले तथा बरखास्त स्टाफ सदस्यों को यह सुविधा प्राप्त नहीं है।

उपरोक्त वर्ग के स्टाफ सदस्यों जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उन्हें अतिरिक्त 1.50% ब्याज का भुगतान किया जाएगा। तथापि, एनएचबी गृह ऋण खातों में प्रति वर्ष अतिरिक्त 1% ब्याज दर का भुगतान नहीं किया जाएगा।

iii. अतिरिक्त ब्याज दर निम्नलिखित मामलों में भी देय होगी:

(क) जहां किसी महिला स्टाफ सदस्य का संयुक्त खाता अपने पति के साथ है जो बैंक का कर्मचारी नहीं हैं। कानूनी तौर पर अलग हुए पति के मामले में यह सुविधा देय नहीं है।

(ख) जहां कोई महिला कर्मचारी अपने पति के जीवनकाल में अपने बच्चों के साथ संयुक्त रूप से खाता रखती है।

(ग) जहां कोई अविवाहिता/अविवाहित अपने आश्रित माता-पिता और/या बहनों और भाइयों के साथ संयुक्त खाता रखती/रखता है।

(घ) मृत कर्मचारी या मृत भूतपूर्व कर्मचारियों की विधवाएं

(ङ) ऐसे भूतपूर्व स्टाफ जिनकी पत्नी/पति की मृत्यु हो चुकी है, के पुत्र/पुत्री के साथ संयुक्त खातों में

(च) कर्मचारी यूनियनों, एसोसिएशनों, अनुसूचित जाति/जनजाति एसोसिएशनों के खाते

(छ) बैंक ऑफ़ बड़ौदा भविष्य निधि कोष, बैंक ऑफ़ बड़ौदा, स्टाफ को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी तथा स्पोर्टस एवं कल्चरल क्लब जिनके सदस्य केवल स्टाफ ही हो सकते हैं। यह दर बैंक ऑफ़ बड़ौदा को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी पर लागू नहीं होती है।

iv. उपरोक्त सभी खातों में संबंधित स्टाफ सदस्यों द्वारा यह लिखित में दिया जाना चाहिए कि ऐसे खातों में जमा राशि उनकी स्वयं की है अपने आश्रित बच्चों/माता-पिता के साथ खोले गए संयुक्त खातों के संदर्भ में यह आश्वस्त करना होगा कि बच्चा अथवा बच्चे/माता-पिता पर पूर्णतया उन पर आश्रित हैं।

v. प्रत्येक स्टाफ सदस्य से अपने स्वयं के नाम से उपरोक्तानुसार व्यक्तिगत रूप से अथवा संयुक्त रूप से कोई जमा खाता खोलने के समय घोषणा पत्र प्राप्त करने संबंधी प्रारूप अनुबंध VI में दिया गया है।

शाखा प्रबंधक/संयुक्त प्रबंधक को स्टाफ सदस्यों के खातों में होनेवाले लेनदेन/परिचालन पर निगरानी रखनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खाते में कोई असामान्य या आपत्तिजनक लेनदेन नहीं होता है। इस उद्देश्य के लिए निर्धारित अर्धवार्षिक प्रमाणपत्र क्षेत्रीय प्राधिकारी को अनिवार्यत: भेजा जाना चाहिए।

बचत बैंक खातों में अतिरिक्त ब्याज का लाभ निर्धारित योग्यता मानदंड पूरे न करने की तारीख से देय नहीं होग, उदाहरणत: मृत्यु अथवा त्याग पत्र देने की स्थिति में उक्त लाभ उपरोक्तानुसार समाप्त हो जाएगा और आवधिक जमाओं के मामले में यह लाभ जमाराशि की परिपक्वता तारीख से प्रभावी नहीं रहेगा

5.105 वरिष्ठ नागरिकों को ऊंची ब्याज दर

3. संयुक्त जमाराशियों का रखरखाव

वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष योजना के अधीन, वरिष्ठ नागरिकों की जमाराशियां संयुक्त रूप से, साठ वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों के साथ स्वीकार करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वरिष्ठ नागरिक का नाम आवेदनपत्र में पहले लिखा जाता है।

4. अतिरिक्त ब्याज दर:

दिनांक 15.05.2001 से भारत में निवास करने वाले वरिष्ठ नागरिकों की आवधिक जमा राशियों पर समय समय पर निर्धारित किए गए अनुसार (फिलहाल 0.50%) देशी जमाराशियों की ब्याज दर से अतिरिक्त ब्याज दिया जाना चाहिए। यह सुविधा अब दिनांक 01.11.2001 से, इस योजना के अधीन वरिष्ठ नागरिकों की सभी परिपक्वता अवधि वाली जमाराशियों के लिए लागू हैं।

पूर्व स्टाफ जो वरिष्ठ नागरिक हैं उन्हें अतिरिक्त ब्याज दर:

परिपत्रांक बीसीसी:बीआर:100:4, दिनांक 01.01.2008 द्वारा शाखाओं को स्टाफ योजना के अंतर्गत मीयादी जमाराशियों पर उपलब्ध 1% की अतिरिक्त ब्याज दर (आम जनता की दर से अधिक) के अलावा पात्र सेवानिवृत्त/पूर्व स्टाफ सदस्यों को वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध 0.50% का अतिरिक्त ब्याज दर देने के लिए प्राधिकृत किया गया है। तदनुसार, शाखाएं सेवानिवृत्त स्टाफ सदस्यों जो भारत के निवासी वरिष्ठ नागरिक हैं, उन्हें 15 दिन से 10 वर्षों की परिपक्वता अवधि वाली नई और वर्तमान मीयादी जमाराशियों के नवीकरण पर प्रति वर्ष 1.50% पर अर्थात सामान्य स्टाफ लाभ हेतु 1% + वरिष्ठ नागरिकों को लाभ हेतु 0.50% का अतिरिक्त ब्याज भुगतान कर सकती हैं। 1 जनवरी 2008 से अतिरिक्त दरों का लाभ उपलब्ध होगा।

कृपया नोट करें कि यदि कोई शाखा अभी भी हमारे सेवानिवृत्त स्टाफ की कर्मचारी कूट संख्या प्रविष्ठ करने में असमर्थ हैं तो उन्हें इस मामले में अपने संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से प्रधान कार्यालय, मासंप्र विभाग, मांडवी, बड़ौदा से संपर्क करना चाहिए।

शाखाओं को सूचित किया जाता है कि अपने पोर्टफोलियो की जांच करें और देखें कि पात्रता के अनुरूप स्टाफ दरें/वरिष्ठ नागरिक स्टाफ दरें दी जा रही हैं।

भवदीय,

-ह-
(राजीव के गर्ग)
उप महाप्रबंधक
(परिचालन एवं सेवाएं)